राजस्थान सरकार

निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (R.A.S.) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्र0सं0 38/2019/रे0वाद/ निर्णय दिनांक :– 14.08.2019

अनवान

1. श्री राजेन्द्र सिंह पिता नन्दसिंह जाति राजपूत आयु 52 वर्ष निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. श्रीमति लक्ष्मीबाई पत्नि नन्द सिंह जाति राजपूत आयु 72 वर्ष निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

———प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री बाबूनाथ पिता लक्ष्मणनाथ आयु बालिग जाति कालबेलियां निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. श्री चैनसिंह पिता रामसिंह, आयु बालिग जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. श्री रंणवीरसिंह पिता गोविन्दसिंह आयु बालिग जाति राजपूत निवासी लसानी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

———विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज.ले.एक्ट

उपस्थित :– 01. श्री लुम्बसिंह वकील वादी

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ़ में प्रार्थी की खातेदारी भूमि स्थित हैं जिसके खाता नम्बर 260 आराजी नम्बर 2104/1024 रकबा 3.00 बीघा भूमि हैं। उक्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी होकर प्रार्थी का कब्जा कास्त हैं एवं इसका उपयोग – उपभोग भी प्रार्थीगण ने ही कर रखा हैं। प्रार्थीगण उक्त भूमि पर निर्वाध रूप से कास्त करता चला आ रहा हैं किन्तु प्रार्थीगण की उक्त भूमि के चारो तरफ पत्थर की पक्की बाउण्ड्री अथवा सीमा चिन्ह नहीं होने से विपक्षीगण जो प्रार्थी की भूमि से लगते हुऐ पडौसी हैं हर समय फसल बुवाई एवं कटाई के सीमा संबंधी विवाद करते रहते हैं जिससे प्रार्थीगण को अनावश्यक मुकदमों के लिये विवश होना पडता हैं। मौके पर अशान्ति रहती हैं जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि पर शान्तिपूर्वक ...

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

विवाद पैदा करता हैं जबकि उक्त भूमि पर विपक्षीगण का कोई हक अधिकार नहीं हैं। इसलिये प्रार्थीगण उक्त भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। भूमि की पत्थरगढी हो जाने पर सीमा संबंधी जो विवाद हैं वह हमेशा के लिये समाप्त हो जाएगा और प्रार्थीगण अपनी भूमि पर शान्तिपुर्वक काश्त कर सकेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण की उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को मय नकल प्रार्थना पत्र के सम्मन जारी किये गये। विपक्षीगण को जारी सम्मन तामील हो जाने पर भी कोई जबाब पेश नहीं किया बल्कि बावजूद तामील के अनुपस्थित रहे। विपक्षीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई हैं। वकील प्रार्थीगण ने प्रकरण में बहस की विद्वान वकील प्रार्थीगण ने बहस में तर्क दिया कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी नहीं होने से विपक्षीगण आये दिन सीमा संबंधी विवाद करते रहते हैं। कभी प्रार्थी की भूमि को हांक लेते हैं कभी घास फसल वगैरह काट लेते हैं। यदि उक्त भूमि की पत्थरगढी हो जाती हैं तो सीमा संबंधी जो विवाद हैं वो हमेशा के लिये समाप्त हो जाएगा और प्रार्थी शान्तिपूर्वक उसकी भूमि का उपयोग उपभोग कर सकेगा। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें तथा प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि की पत्थगढी के आदेश प्रदान करावें।

हमने प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र नकल जमाबन्दी एवं पत्रावली में संलग्न अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया तथा विद्वान वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। ग्राम नीमझर पटवार हल्का कालेसरिया तहसील देवगढ़ की जमाबन्दी उसके खाते की भूमि की पत्थरगढी करा सकता हैं।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जात हैं तथा ग्राम लसानी पटवार हल्का लसानी तहसील देवगढ़ के खाता 260 आराजी नम्बर 2104 / 1024 रकबा 3.00 बीघा भूमि की पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावें कि प्रार्थी से नियमानुसार पत्र जारी करा मौके पर पत्थरगढी करा मौके परचा पेंश करें।

निर्णय आज दिनांक 14.08.2019 को खुले न्यायालय सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें।

सहायक कलक्टर

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द